



23/03/2020

वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को अंगीकार करके ही एक ही परिवार के सदस्यों को एक ही परिवार के सदस्यों के रूप में मानना चाहिए। इसी भावना को अंगीकार करके ही एक ही परिवार के सदस्यों को एक ही परिवार के सदस्यों के रूप में मानना चाहिए। इसी भावना को अंगीकार करके ही एक ही परिवार के सदस्यों को एक ही परिवार के सदस्यों के रूप में मानना चाहिए।

वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को अंगीकार करके ही एक ही परिवार के सदस्यों को एक ही परिवार के सदस्यों के रूप में मानना चाहिए। इसी भावना को अंगीकार करके ही एक ही परिवार के सदस्यों को एक ही परिवार के सदस्यों के रूप में मानना चाहिए। इसी भावना को अंगीकार करके ही एक ही परिवार के सदस्यों को एक ही परिवार के सदस्यों के रूप में मानना चाहिए।

दिनांक :- 04/03/2020

निर्णय

1. श्री राजेश्वर सिंह सोलंकी अधिवक्ता वारीगण की ओर से
2. श्री रिष्णुलाल सिंह सोलंकी अधिवक्ता वारीगण की ओर से
3. वारीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

राजस्थान मूल वाद संख्या :- 166/2019

दादा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान कायदा अधिनियम

- | | |
|---|---|
| <p>1. मांगीलाल पुत्र दुलाराम जालि मंगवाल नि. रोहिणा तहसील बाप जिला जोधपुर</p> <p>2. शाखा प्रमुख आर.एम.जी.बी. शाखा आर.एम.जी.बी. जालि मंगवाल नि. रोहिणा तहसील बाप जिला जोधपुर</p> | <p>1. मांगीलाल पुत्र दुलाराम जालि मंगवाल नि. रोहिणा तहसील बाप जिला जोधपुर</p> <p>2. शाखा प्रमुख आर.एम.जी.बी. शाखा आर.एम.जी.बी. जालि मंगवाल नि. रोहिणा तहसील बाप जिला जोधपुर</p> |
|---|---|

वारीगण व नाम

बड़जालास पीठासीन अधिकाारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)



(महलौर विधि)
सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 04/03/2020 को न्यायालय में सुनाया गया।
करे। हिकी पूर्वा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।
रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना
संयुक्त रूप से सहखातेदार कारतकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त मूँसि पूर्व अनुसार
रकबा 71-18 बीघा कुल रकबा 263-19 बीघा की कारत मूँसि में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ
के खसरा नम्बर 137 रकबा 136-10 बीघा, खसरा नम्बर 152 रकबा 55-11 बीघा, व खसरा नम्बर 190
बाद वादीगण स्वीकार किया जाता है याम रेहिणा पटवार क्षेत्र रेहिणा तहसील बाप जिला जोधपुर

आदेश

किया जाना न्यायवित है। वादीगण का बाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।
उक्त वादग्रस्त मूँसि में पूर्वक हिस्सा बनता है इसी अनुसार वादीगण को सहखातेदार कारतकार घोषित
उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की प्रतिवादी सं. 1 ने स्वीकार किया है। अतः वादग्रस्त मूँसि में वादीगण प्रत्येक का
पंचायत रेहिणा द्वारा जारी गारिस प्रमाण पत्र से साबित है। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के जाइन्दा पत्र है।
प्रतिवादी को विरासत में प्राप्त हुई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य नामांतरकरण व सरपंच याम
किया जिससे साबित है उक्त वादग्रस्त मूँसि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पुष्टि की कारत मूँसि है जो
वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन
हिकी किया जाते।

प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण का बाद माफिक इस्तदुआ
साथ संयुक्त रूप से खातेदार कारतकार घोषित किया जाते।
उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक निहित हो जाता है। इसलिये वादीगण को प्रतिवादी के
द्वारे वादीगण प्रतिवादी सं. 1 की जायन्दा सतानें है इसलिये उनका उक्त वादग्रस्त मूँसि में हिन्दू
सं. 1 के पूर्वजों के नाम दर्ज रहे है तथा प्रतिवादी सं. 1 को उक्त मूँसि जरिये विरासत के प्राप्त हुई है।
190 रकबा 71-18 बीघा कुल रकबा 263-19 बीघा मूँसि स्थित है। उक्त मूँसि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी
जोधपुर के खसरा नम्बर 137 रकबा 136-10 बीघा, खसरा नम्बर 152 रकबा 55-11 बीघा, व खसरा नम्बर
एवं प्रतिवादी सं. 1 की सामगली पुष्टि की मूँसि याम रेहिणा पटवार क्षेत्र रेहिणा तहसील बाप जिला जोधपुर

